संख्या–जी0आई0–230/38–4–13–89(विविध)/2013

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊ, दिनांक 03 मार्च फरवरी, 2014

विषयः–इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1696/38–4–2013–89(विविध)/2013 दि0 25.10.2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा इन्दिरा आवास योजना की मार्ग–निर्देशिका के प्रस्तर 3.6 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्थानुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 से प्रशासनिक मद में व्यय हेतु अनुमन्य 04 प्रतिशत धनराशि में से 01 प्रतिशत धनराशि के व्यय किये जाने का निर्धारण करते हुए उक्त शासनादेश के प्रस्तर–13 में यह उल्लिखित किया गया है कि " प्रशासनिक मदों के व्यय हेतु अनुमन्य 4 प्रतिशत धनराशि में से 01 प्रतिशत की धनराशि के व्यय करने के सम्बन्ध में भारत सरकार को प्रेषित सन्दर्भ पर निर्णयोपरान्त पृथकतः निदेश निर्गत किये जायेंगे।

2– अवर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–जे–11011/06/2013–आरएच, दिनांक 12.12.2013 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत प्रशासनिक मदों के व्यय हेतु अनुमन्य 04 प्रतिशत धनराशि में से 01 प्रतिशत की धनराशि सामाजिक लेखा परीक्षा (सोशल आडिट) हेतु व्यय किये जाने पर अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामाजिक लेखा परीक्षा (सोशल आडिट) हेतु उक्त 01 प्रतिशत की धनराशि को व्यय करने हेतु भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 12.12.2013 के इंगित अनुदेशों के अनुपालन में सोशल आडिट निदेशालय को अनुमन्य धनराशि उपलब्ध कराते हुए सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अपेक्षा है, कि भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप समीक्षा करते हुए समयबद्ध प्रगति निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव।

संख्या– जी0आई0–230(1)/38–4–2013, तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अवर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
2– प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
3– निदेशक, सोशल आडिट, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4– समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– संयुक्त विकास आयुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
6– समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
7– समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8– वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग 2/3।
9– बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण अनुभाग।
10– एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर कुमार श्रीवास्तव)
सचिव।

Gaurav-go